

भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 6 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजन से राजस्थान राज्य मुक्त(ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्रप्रदेश मुक्त (ओपन)स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों/योग्यताओं को मान्यता देना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा प्रदत्त योग्यताएँ/प्रमाण पत्रों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हैं या नहीं, इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है।

2. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 07.09.2012 के का. जा. सं. एफ-2-35/2011-स्कूल 3 द्वारा स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की एसोशिएशन, भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड की वास्तविकता/मान्यता का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी है। यह संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम या केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किए जाने वाले बोर्ड/संस्थाओं एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का पालन करने वालों को सदस्यता प्रदान करता है। इसके सदस्य बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, देश के किसी भी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के समकक्ष होते हैं। यह सूचित किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी एवं राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर इसके सदस्य हैं एवं इनके पाठ्यक्रम सीओबीएसई एवं इसके सभी सदस्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ये आगे अध्ययन करने एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों में नियुक्ति के लिए वैध हैं। जहाँ तक रोजगार के प्रयोजन से राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता का संबंध है, जहाँ आवश्यक हो, इसे संबंधित राज्य ओपन स्कूलों से सत्यापित करवाया जा सकता है।

मुमुक्षु-
(पुष्पेन्द्र कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष :- 23040340

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2. उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री का कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. संयुक्त निदेशक, स्था. (एन)-II, (ध्यानाकर्षण :- श्री हर्ष दास, संयुक्त निदेशक) रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का.जा.सं.ई (एनजी)-II/2004/आरआर-1/14 दिनांक 16.01.2012 के संदर्भ में।
7. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (ध्यानाकर्षण :- श्री दिनेश कुमार, अवर सचिव) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली का.जा.सं.2-35/2011-ख-3 दिनांक 08.02.2013 के संदर्भ में।
8. महारजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
9. महारजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली
10. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली
11. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
12. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
13. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबंध कार्यालय
14. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली
15. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली
16. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
17. सचिव, संयुक्त परामर्शदात्री (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
18. स्थापना अधिकारी एवं ए.एस.
19. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
20. सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)
21. एमआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) इस का.जा. को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाईट पर डालने के लिए
22. स्थापना अधिकारी (20 प्रतियां)

मृग
(पुष्पेन्द्र कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :- 23040340